

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -397 / 2024

वान :

1. प्रगटसिंह महल सिंह जाति जटसिख निवासी थेहड़ खोड़ा तहसील टिब्बी
2. जग्गासिंह जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम्

1. महल सिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति जटसिख निवासी थेहड़ खोड़ा तहसील टिब्बी
2. सुरेन्द्र कौर पत्नी महल सिंह जिला हनुमानगढ़
3. बलदेवसिंह पुत्र महल सिंह

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 21/01/2025

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महावीर वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 2 एस. आर. डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता के खाता सं० 182/47 में कुल 1.265 है० नाली प्रथम में प्रतिवादी सं० 1 महल सिंह का 1/4 हिस्सा में से .215 है० आराजी तथा चकनं० 3 एस. आर. डबल्यू जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 30/28 में अंकित कुल 2.176 है० नाली के प्रथम मय गै०मु० आराजी मे से प्रतिवादी सं० 1 महल सिंह के 1/4 हिस्सा की आराजी वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 2 एस. आर. डबल्यू के खाता सं० 182/47 में से प्रतिवादी सं० 1 महल सिंह का हिस्सा कम व चकनं० 3 एस. आर. डबल्यू के खाता सं० 30/28 मे से महलसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया




(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी